

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं०.- 4915 वर्ष 2026**

मोहम्मद शुएब अंसारी

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से

और एक अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र गुप्ताप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा. अधि.

न्यायालय सं०. - 16**माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह**

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र रिकॉर्ड में लिया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र को भी रिकॉर्ड पर लिया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह जमानत याचिका प्रार्थी की ओर से मुकदमा अपराध सं०.103/2026, अंतर्गत धारा 64(1), 115(2), 351(2), 352, 131 बीएनएस थाना खैराबाद, जिला सीतापुर में, दौरान विचारण उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थी निर्दोष है और पुलिस ने इस मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया है। इसके बाद उन्होंने दलील दी कि कथित अपराध के आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष की कहानी में कई विरोधाभास हैं। उनका कहना है कि आरोप यह है कि प्रार्थी ने बलात्संग किया और उसके बाद शादी का झूठा वादा किया, जो शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई एक असंभव कहानी है। उन्होंने यह भी कहा कि नाराजगी की वजह से वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और दोनों पक्ष शादी करने के लिए तैयार हैं। उनका निवेदन है कि प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 14.04.2026 से कारावास में निरुद्ध है।

शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि कुछ गलतफहमी के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अब, प्रार्थी पीड़िता से विवाह करने के लिए तैयार है, इसलिए निवेदन है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के उपरांत, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के वकील के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गलतफहमी में दर्ज की गई थी और दोनों बालिग हैं तथा विवाह करने के लिए तैयार हैं। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 14.04.2026 से कारावास में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत का मामला मानता हूँ।

प्रार्थी- **मोहम्मद शुएब अंसारी**, उपरोक्त अपराध में शामिल को इस शर्त पर ज़मानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानती प्रस्तुत करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

1. प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराना/ दबाव डालना या किसी अन्य तरीके से अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा;
2. प्रार्थी को यह शपथ-पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। उन्हें निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय में उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना, अनुपस्थित रहती है, तो विचारण न्यायालय अंतर्गत धारा 229-अ भा.द.सं. में उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।
3. प्रार्थी को तय तिथियों पर विचारण न्यायालय के सामने (i) मुकदमे की शुरुवात में, (ii) आरोप तय करते समय (iii) धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज करते समय, स्वयं मौजूद रहना होगा।
4. यदि, प्रार्थी मुकदमे के दौरान जमानत का दुरुपयोग करती है तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्गत धारा 82 द.प्र.सं. में उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख को न्यायालय के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तब, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध, अंतर्गत धारा 174-अ भा.द.सं. में, विधि के प्रावधानों के अनुसार, कार्यवाही शुरू करेगा।

संबंधित न्यायालय द्वारा जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा। यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो निचली अदालत जमानत रद्द करने और प्रार्थी को कारावास भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस जमानत याचिका के निपटारे तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह का असर डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

जून 30, 2026

मुक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।